दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फ्लाई लीफ/07/2022

फ्लाई लीफ सं. 07/2022

सर्वसंबंधित ...... ध्यान दें
आग की दुर्घटनाओं की रोकथाम

सिकंदराबाद मंडल में, दिनांक 03.07.2022 को, लोको संख्या 37316/डब्ल्यूएपी7/बीजेडए द्वारा वहन गाडी नं. 12721 (हैदराबाद-निजामुद्दीन) डाउन दक्षिण एक्सप्रेस 22 डिब्बों के साथ हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने के लिए दि.02.07.2022 को 23:00 बजे हैदराबाद स्टेशन से आरंभ होकर रवाना हुई.

गाड़ी की चालन स्थिति में, पहले किमी 223/8-10 पर समपार सं. 20/ई के गेटमैन ने घटकेसर-बीबीनगर के बीच एलवीपीएच (अंतिम वाहन) के फर्श के सतह पर (पिछले दरवाजे के पास(सिकंदराबाद की छोर)) धुआं और जलने की गंध महसूस की. गेटमैन ने उप स्टेशन अधीक्षक/बीबीनगर को फोन पर इसकी सूचना दी, उसने भी बीबीनगर से गाडी गुजरते समय इसे देखा और पार्सल वैन (एलवीपीएच) नंबर ईआर -218640 (अंतिम वाहन) में आग लगने की सूचना सेक्शन नियंत्रक और उस गाडी के गाड़ी प्रबंधक के साथ-साथ अगले स्टेशन मास्टर अर्थात् स्टेशन मास्टर/पगिडिपल्ली को भी दी. गाडी को पगिडिपल्ली स्टेशन में (रोड-1) डाउन मेन लाइन पर 00:32 बजे रोका गया.

स्टेशन मास्टर/पगिडिपल्ली ने अन्य कर्मचारियों की सहायता से अग्निशामकों से आग बुझाने का विफल प्रयास किया लेकिन आग की तीव्रता अधिक होने और तेजी से फैलने के कारण उन्होंने दमकल भेजने के लिए कहा. इस बीच, गाडी के गाडी प्रबंधक के साथ स्टेशन कर्मचारियों ने गाड़ी नंबर 12721 (हैदराबाद-निजामुद्दीन) डाउन दक्षिण एक्सप्रेस के पार्सल वैन (एलवीपीएच) नंबर ईआर -218640 (अंतिम वाहन) को संरचना से अलग कर दिया. पार्सल वैन (अंतिम वाहन) एलवीपीएच नंबर ईआर -218640 को पीछे छोड़ते हुए गाडी के अगले हिस्से को डाउन मेन लाइन पर सुरक्षित दूरी तक आगे ले जाया गया.

अंतिम कोच अर्थात पार्सल वैन नंबर ईआर -218640 को पीछे छोड़ते हुए शेष (21) कोचों के साथ गाड़ी को पगिडिपल्ली स्टेशन से 02:30 बजे रवाना किया गया.कोई यात्री हताहत/ घायल नहीं हुआ था.

ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए सभी वाणिज्य, लदान/उतराई करने वाले हमाली, परिचालन, विद्युत, यांत्रिक, इंजीनियरी विभागों द्वारा निम्नलिखित सावधानियां सुनिश्चित की जानी चाहिए.

आग से नाश, संपत्ति को नुकसान होता है और इससे यात्री हताहत तथा घायल होने के अलावा रेल यातायात भी बाधित होता है. अतः निम्नलिखित सावधानियां बरतते हुए आग के खतरों को रोकें.

स्टेशन मास्टर, वाणिज्य कर्मचारी, लोको-पायलट और गाड़ी प्रबंधक:

1. स्टेशन परिसरों में पर्याप्त मात्रा में अग्निशामकों और यातायात विभाग से संबंधित अन्य स्टेशन अवसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
2. मार्ग में हॉट एक्सल/ब्रेक बाइंडिंग का समय पर पता लगाएं .
3. लदान की गई वस्तुओं से निकलने वाले धुएं/आग की जाँच करें
4. यात्री/मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के डिब्बों से निकलने वाले धुएं की जाँच करें
5. सुनिश्चित करें कि लोको में ड्राई केमिकल पाउडर (डीसीपी) प्रकार के चार अग्निशामक उपलब्ध हैं जो समाप्ति तिथि के भीतर हो.
6. सभी विद्युत परिपथों में बदबू (जलने की), धुआं और चिंगारी की जाँच करें
7. गाड़ियों का कार्यभार लेते समय तेल टैंक वैगनों के रिसावों पर विशेष ध्यान दें
8. ज्वलनशील पदार्थों से भरे वैगनों की सही मार्शलिंग सुनिश्चित करें
9. यात्री डिब्बों में यात्री खाना पकाने से रोकने पर विशेष ध्यान दें
10. स्टेशन कर्मचारी सुनिश्चित करें कि फायर स्टेशनों / फायर ब्रिगेड पदाधिकारियों के अद्यतन टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन + मोबाइल), उनकी आवधिक जांच तथा जांच स्थिति के रिकॉर्ड के साथ उपलब्ध हैं और स्टेशन मास्टर कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शित किए जाते हैं.
11. गाड़ियों में 'सिगडी' और स्टोव का उपयोग करने वाले अनधिकृत फेरीवालों और विक्रेताओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं.

12. लदान पूरी होने के बाद, गाड़ी प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि एसएलआर के सामान वाले हिस्से की सभी लाइटें बंद कर दी गई हैं ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना को दूर कर सके.

13. यात्री वाहक गाड़ियों में विस्फोटक, खतरनाक, ज्वलनशील पदार्थ, खाली गैस सिलेंडर, सूखी घास और सूखे पत्ते आदि की बुकिंग सामान के रूप में न की जाए.

14. एहतियात के तौर पर नाफ्था आदि ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाली गाड़ी को ग्राइडिंग परिचालन के दौरान निकटवर्ती रेलपथ पर न चलाए.

15. किसी भी प्रकार के विस्फोटक, खतरनाक सामग्री, आतिशबाजी, ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल, ग्रीस, घी, पेंट, सूखी घास और किसी भी किस्म की पत्तियों आदि को किसी भी व्यक्ति द्वारा डिब्बों में ले जाने पर निषेध है.

16. वाणिज्य पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करें कि गुड्स शेड/वाणिज्य प्लॉटो में दहनशील सामग्री का ढेर लगाते समय उचित सावधानियां बरती गई हैं. ऐसी वस्तु, जिनमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं होने की संभावना है, को मिलाते समय आरपीएफ के सहयोग से यात्री गाड़ियों के सामान/पार्सल, स्टेशन और पार्सल कार्यालयों की आकस्मिक जांच करें. यह भी सुनिश्चित करें कि आवासीय क्षेत्रों से दूर इनके ढेर लगाए जाते हैं. सुनिश्चित करें कि साइडिंग करार के अनुसार वाणिज्य प्लॉट धारक सभी संरक्षा सावधानियां बरतते हैं. यह भी सुनिश्चित करें कि ज्वलनशील सामग्री के ढेरों की अधिकतम ऊंचाई **20** फीट से अधिक न हो.

17. लीज पर दिए गए वीपीयू/एसएलआर में परेषणों के लदान से पहले पट्टेधार को घोषणा-पत्र के साथ मालसूची प्रस्तुत करना होगा.

18. पार्सल पर्यवेक्षक सुनिश्चित करें कि दोपहिया वाहन/मोटर साइकिलों का रेल द्वारा परिवहन करते समय पेट्रोल टैंक को पूरी तरह खाली किया जाता है और सूती कपड़े से पोंछ दिया जाता है. यह भी सुनिश्चित करें कि पेट्रोल टैंक या कार्बोरेटर में कोई पेट्रोल नहीं बचा है.

19. एफटीआर विशेष गाड़ियों में रसोई कारों के बदले वीपीयू को आबंटित न करें और उनके उपयोग के लिए अनुमति न दें.

20. निजी पार्टी/पट्टाधार सहित सभी को एसएलआर में लदान पैकेटों के ऊपरी सतह और छत के बीच पर्याप्त जगह छोड़ना होगा.

21. पार्सल कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि पार्सलों के लदान/उतराई के दौरान हमाली (श्रमिक) धूम्रपान नहीं करेंगे या सिगरेट/बीड़ी नहीं जलाएंगे.

22. अकाल राहत सामग्री, जैसे धान घास को ठीक तरह से वैगनों में लोडिंग/अनलोडिंग की जाए ताकि हवा से उड़कर वह डीजल लोको की ओर न जाए और लोको में आग न लग जाए.

23. सुनिश्चित करें कि टैंक वैगनों के लिए लेड सीलों के स्थान पर प्लास्टिक सील उपलब्ध कराए जाते हैं.

24. प्लैटफार्म पर खानपान सेवा चल ट्रॉलियों में जलते गैस स्टोव/सिगडी को अनुमति नहीं दी जाए.

गाड़ी परीक्षक / विद्युत कर्मचारी:

1. सभी कोचों में आग से संबंधित पोस्टरों/स्टिकरों को प्रदर्शित करें.

2. सभी कोचों की आपातकालीन खिड़कियों का ऑपरेशन सुनिश्चित करें. इन्हें बंद स्थिति में रखनी चाहिए.

3. सभी वातानुकूलित डिब्बे, पावर-कार, लोकोमोटिव और एसएलआर में अग्निशामकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिनकी वैध जांच नियत तारीख हो.

4. सभी रेकों में एसीपी की कार्यचालन स्थिति सुनिश्चित करें.

5. सभी वातानुकूलित डिब्बों में छोटे हथौड़े के साथ ग्लास सीलिंग पॉकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करें.

6. वाहनों को खड़ा करते समय और प्लैटफॉर्म से यार्ड/स्टेशन तक ले जाते समय खाली कोचिंग रेकों/कोचों के सभी डिब्बे और एसएलआर की उचित लॉकिंग सुनिश्चित करें.

7. सभी यात्री कोचों में पानी भरना सुनिश्चित करें.

8. सुनिश्चित करें कि एसीपी उपकरण ठीक से कार्य कर रहा है.

9. सुनिश्चित करें कि आपातकालीन खिड़कियां ठीक तरह से कार्य कर रही हैं.

10. सुनिश्चित करें कि सभी विद्युत संयोजन ठीक-ठाक हैं और कोचों में कोई ढीली फिटिंग नहीं हैं.

11. बैटरी बॉक्स को 'खुली' स्थिति में न छोड़ें तथा जहां कहीं आवश्यक हो एमएस शीट से उन्हें कवर करें.

12. सुनिश्चित करें कि विद्युत परिपथों में सही रेटेड फ़्यूज़/एमसीबी लगाए गए हैं.
13. चलाने की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वातानुकूलित कोचों की अर्थिंग लीकेज की जांच की गई है.

रसोईयान कर्मचारी :

1. कालिख और ओवर-हीटिंग के कारण बंद होने से बचने के लिए पेंट्री कारों की चिमनियों को नियमित रूप से साफ की जानी चाहिए.
2. गैस सिलेंडरों को गैस कक्ष में ही रखना सुनिश्चित करें.
3. विद्युत जंक्शन बॉक्सों को कवर किया जाना चाहिए.
4. कर्मचारियों को अग्निशमकों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए.
5. निर्धारित संख्या में अग्निशामक अच्छी स्थिति में उपलब्ध होने चाहिए.
6. सुनिश्चित करें कि वेस्टिब्यूल के मार्ग में कोई कचरा नहीं फेंका जाता है.
7. सुनिश्चित करें कि गैस पाइप को एस्बेस्टस से इन्सुलेट किया जाता है.
8. सुनिश्चित करें कि रात के दौरान पेंट्री उपस्कर को तालाबंद रखने का अनुदेश दिया जाता है.
9. पेंट्री कारों के चिमनी ब्लोअर में अग्निरोधी ब्लेडों का उपयोग सुनिश्चित करें.
10. सुनिश्चित करें कि एक्झास्ट पंखे कार्य कर रहे हैं.

सुरक्षा कर्मचारी :

1. सुनिश्चित करें कि ढेर लगाई गई ज्वलनशील सामग्री की अधिकतम ऊंचाई प्रति स्टेक 20 फीट से अधिक न हो.
2. सुनिश्चित करें कि ज्वलनशील सामग्री का आवासीय क्षेत्रों से दूर ढेर लगाई गई है.
3. सुनिश्चित करें कि निषिद्ध/प्रतिबंधित स्थानों पर धूम्रपान नहीं किया जाता है.
4. सुनिश्चित करें कि मजदूर और फेरीवाले खाना पकाने के लिए खुले ओवन/चूल्हे/सिगरी का उपयोग न कर रहे हैं.
5. यात्री कोचों और एसएलआर में ज्वलनशील सामग्री जैसे पटाखे, किरोसिन, पेट्रोल, गैस सिलेंडर आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जाए.
6. यात्री गाड़ियों में स्टोव, सिगरी, फिल्म आदि ले जाने की अनुमति नहीं दी जाए.
7. यात्री कंपार्टमेंट में गैस सिलेंडर लादने की अनुमति न दें.

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन दक्षिण मध्य रेलवे